उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 5 | अंक 14 | 16-31 जुलाई 2022 | ₹ 20/-

देश भर में आतंक मचाने के जिहादी मंसूबे विफल

- कर्नाटक में भाजपा नेता की हत्या से तनाव
- विश्व बैंक द्वारा श्रीलंका को कर्ज देने से इंकार
- अरब जगत में वर्चस्व के लिए अमेरिका और रूस में होड़
- मध्य प्रदेश में भाजपा के टिकट पर मुसलमानों की जीत

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

* अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

देश भर में आतंक मचाने के जिहादी मंसूबे विफल 04
जौहर विश्वविद्यालय के भवन को वापस करने का निर्देश 07
कर्नाटक में भाजपा नेता की हत्या से तनाव 09
नाबालिग मुस्लिम लड़कियों के निकाह को अवैध करार देने की मांग 10
मुख्य न्यायाधीश द्वारा मीडिया ट्रायल की आलोचना 11

विश्व

विश्व बैंक द्वारा श्रीलंका को कर्ज देने से इंकार 13
15 लाख अफगान नागरिक पाकिस्तान में 14
म्यांमार में लोकतांत्रिक व्यवस्था के चार समर्थकों को फांसी 14
बांग्लादेश द्वारा आईएमएफ से साढ़े चार अरब डॉलर सहायता की मांग 15
उत्तर कोरिया की अमेरिका पर परमाणु हमले की धमकी 16

पश्चिम एशिया

अरब जगत में वर्चस्व के लिए अमेरिका और रूस में होड़ 17
इजरायल द्वारा ईरान पर हमले की तैयारी 19
इराक में तुर्की के हमले में नौ पर्यटक मारे गए 20
ईरान में इजरायली गुप्तचर तंत्र नष्ट 21
मक्का में इजरायली पत्रकार के दाखिले से सनसनी 22

अन्य

औरंगाबाद का नाम बदलने के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती 23
हज कमेटी में सुधार की मांग 23
अमरोहा में मदरसे को ध्वस्त करने पर विवाद 24
मध्य प्रदेश में भाजपा के टिकट पर मुसलमानों की जीत 25
उम्रकैद की सजा पाने वाले की जमानत 25

सारांश

देश में इस्लामिक आतंकी संगठन बड़ी तेजी से अपने पैर पसार रहे हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने देश के एक दर्जन राज्यों में अनेक स्थानों पर छापे मारकर ऐसे तत्वों को गिरफ्तार किया है जो विदेशियों के इशारे पर देश में हिंसा की ज्वाला भड़काने और गजवा-ए-हिंद को कार्यान्वित करने के लिए प्रयास कर रहे थे। बड़ी अजीब बात है कि सरकार की जागरूकता के बावजूद इस देश में पॉपुलर फ्रंट, एसडीपीआई, अलकायदा और आईएसआईएस जैसे खतरनाक जिहादी संगठनों का मकड़जाल देश भर में फैला हुआ है। हैरानी की बात यह है कि इस मकड़जाल से अनेक मस्जिदों के इमाम और मदरसों के अध्यापक एवं छात्र भी जुड़े हुए हैं। सबसे गंभीर बात यह है कि विदेशी स्रोतों से अस्त्र-शस्त्रों की तस्करी निरंतर जारी है और एक विशेष संप्रदाय के लोगों को गुप्त प्रशिक्षण शिविरों में इन अस्त्र-शस्त्रों को चलाने का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। कभी इस संदर्भ में सिर्फ जम्मू कश्मीर की ही चर्चा होती थी, मगर अब तो देश का कोई भी भाग ऐसा नहीं है, जिसमें ये देशद्रोही तत्व सक्रिय नहीं हैं।

सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कंगारू कोर्ट चलाकर मनमानी जानकारी परोसने और किसी को भी एक निश्चित लक्ष्य के तहत दोषी ठहराने के बारे में जो टिप्पणी की है उसे भी नजरअंदाज करना लोकतंत्र के हित में नहीं है। यह हकीकत है कि अधिकांश चैनल बहस में सिर्फ एक पक्ष ही पेश करते हैं। इससे देश में जो नफरत का वातावरण बनता है उससे निश्चित रूप से देश का नुकसान होता है।

कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में हाल ही में हत्या की जो तीन घटनाएं हुई हैं, उसे भी नजरअंदाज करना ठीक नहीं होगा। कर्नाटक में जो सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा है उसका प्रभाव दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों पर पड़ सकता है।

अरब जगत में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए हाल ही में अमेरिका और रूस के बीच जो होड़ शुरू हुई है उसके भविष्य में दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। अभी तक पश्चिम एशिया के मुस्लिम देशों में अमेरिका का ही वर्चस्व था। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। इस क्षेत्र में प्रथम विश्वयुद्ध के बाद अंग्रेजों ने अपने जो वफादार शासक गद्दियों पर बैठाए उसका लाभ बाद में अमेरिका ने उठाया। यह अमेरिका का ही कमाल है कि उसने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके इस क्षेत्र के मुस्लिम देशों में भी इजरायल को स्थापित करने का प्रयास किया। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने इजरायल और अनेक अरब देशों का जो दौरा किया है उसका लक्ष्य ईरान को अलग-थलग करना और सुन्नी देशों में अपने वर्चस्व को स्थापित करना है। अमेरिका के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए पहली बार रूस भी मैदान में आ गया है। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन न ईरान का जो दौरा किया है उससे अमेरिका और इजरायल की नींद हराम हो गई है। मजेदार बात यह है कि नाटो संधि क एक महत्त्वपूर्ण देश तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान भी रूस और ईरान का साथ दे रहे हैं। रूस के इस कदम से नाटो संधि के देशों, यूरोपीय यूनियन के सदस्यों और अमेरिका को परेशानी होना स्वाभाविक है।

राष्ट्रीय

देश भर में आतंक मचाने के जिहादी मंसूबे विफल

विदेशों की खैरात पर पलने वाले कई जिहादी संगठन इन दिनों देश भर में अपने पैर पसार चुके हैं। हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी को जब इनके राष्ट्रद्रोही मंसूबों की भनक लगी तो उसने देश भर में छापा मारकर इन संगठनों से जुड़े हुए अनेक लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए लोगों से पूछताछ के दौरान सनसनीखेज जानकारी मिली है। देश की सुरक्षा एजेंसियों ने इन जिहादियों के आतंकी मंसूबों को फिलहाल धूल में मिला दिया है।

इंकलाब (15 जुलाई) के अनुसार पटना के पुलिस कप्तान ने गुप्त जानकारी के आधार पर पॉपुलर फ्रंट से जुड़े हुए दर्जन भर लोगों को हिरासत में लिया है।

इंकलाब (17 जुलाई) के अनुसार पकड़े गए लोगों से पूछताछ के आधार पर राज्य भर में पॉपुलर फ्रंट से जुड़े हुए लोगों के घरों पर छापे मारे गए। ये छापे दरभंगा, मोतिहारी और एक दर्जन अन्य स्थानों पर मारे गए। बिहार से संबंध रखने वाले एसडीपीआई और पांपुलर फ्रंट के एक सक्रिय कार्यकर्ता नूरुद्दीन जंगी को उत्तर प्रदेश एटीएस की सहायता से लखनऊ से गिरफ्तार किया गया। यह व्यक्ति मूलत: दरभंगा जिला के उर्दू बाजार का रहने वाला है। फुलवारी शरीफ में भी अनेक संदिग्ध आरोपियों के मकानों पर छापे मारे गए। बताया जाता है कि इस गिरोह का सुराग 10 जून 2022 को बांटे गए एक पर्चे से मिला, जिसमें मुसलमानों को इस्लाम के नाम पर भड़काया गया था। इस पर्चे के कुछ अंश फुलवारी शरीफ के थानेदार इकरार अहमद के व्हाट्सऐप पर भी भेजा गया था। इसके बाद 11 जून 2022 को इकरार अहमद के बयान पर विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।

पुलिस का दावा है कि ये पर्चे राज्य में दंगे भड़काने के उद्देश्य से प्रकाशित किए गए थ। बताया जाता है कि मुकदमा दर्ज होने के बावजूद पुलिस ने प्रारंभ में आरोपियों को पकड़ने का कोई प्रयास नहीं किया, जिसके कारण उनमें से अधिकांश फरार हो गए। जब इस मामले से संबंधित समाचार अखबारों में प्रकाशित हुई तो केंद्र

सरकार ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच का जिम्मा राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दिया।

इंकलाब (1 अगस्त) के अनुसार राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आतंकी संगठन आईएसआईएस से संबंधित आतंकियों का सुराग लगाने के लिए देश भर के छह राज्यों में छापे मारे हैं। इनमें मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। इन छापों के दौरान इस आतंकी संगठन से जुड़े हुए अनेक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जांच एजेंसी के प्रवक्ता ने गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या बताने से इंकार कर दिया, मगर उन्होंने यह बताया कि ये छापे भोपाल, रायसेन, भरूच, सूरत, नवसारी, अहमदाबाद, औरैया, भटकल, मंगलूरु, कोल्हापुर, नांदेड़ और देवबंद में मारे गए थे।

प्रवक्ता ने कहा कि देवबंद में जिस छात्र को हिरासत में लिया गया है वह मूल रूप से कर्नाटक का रहने वाला है और सोशल मीडिया पर वह आईएसआईएस से जुड़ा पाया गया है। प्रवक्ता ने कहा कि पकड़े गए कई लोगों का संबंध पॉपुलर फ्रंट के संगठन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) से है। पकड़े गए लोगों के खिलाफ एक दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं। गुजरात में तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। नालंदा में जांच एजेंसी ने पॉपुलर फ्रंट से जुड़े हुए कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। प्रवक्ता ने कहा कि अभी जांच चल रही है और सनसनीखेज जानकारी मिलने की संभावना है।

इंकलाब (17 जुलाई) के अनुसार राज्य पुलिस ने पटना में देशद्रोही गतिविधियों में भाग लेने से संबंधित मामलों में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। सबसे खास बात यह है कि जो लोग पकड़े गए हैं उनमें से दो राज्य पुलिस के कर्मचारी भी हैं, जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुए थे। इससे साफ है कि पॉपुलर फ्रंट राज्य सरकार के शासनतंत्र में भी घुसपैठ कर चुका है। पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लों ने दावा किया है कि जो लोग पकड़े गए हैं वे फुलवारी शरीफ में पॉपुलर फ्रंट का प्रशिक्षण शिविर चलाते थे, जिसमें भाग लेने वालों को देशद्रोही गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया जाता था। राष्ट्रीय जनता दल के महासचिव श्याम रजक ने दावा किया है कि फुलवारी शरीफ में पॉपुलर फ्रंट को आतंकवाद से जोड़ने के संबंध में जो दावे किए जा रहे हैं उसके पीछे भाजपा का हाथ है। वह इस मामले को उछालकर 2024 के चुनाव में बहुसंख्यक समाज के वोटों को बटोरना चाहती है।

इंकलाब (21 जुलाई) के अनुसार राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम ने मोतिहारी के ढाका थाना क्षेत्र के एक गांव में छापा मारा और वहां के एक मदरसे के मुफ्ती असगर अली और उसके अन्य साथियों को हिरासत में ले लिया। पूछताछ के बाद इनमें से दो लोगों को छोड़ दिया गया। शेष दस के लगभग अभी तक पुलिस हिरासत में हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी क सूत्रों ने यह दावा किया है कि जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनके तार बांग्लादेश के कई आतंकवादी इस्लामी संगठनों से जुड़े हुए हैं। पुलिस ने असगर अली के मकान पर छापा मारकर वहां से 29 आपत्तिजनक पुस्तकें भी जब्त की हैं। इसके अतिरिक्त मदरसे से दो लैपटॉप भी जब्त किए गए हैं।

कौमी तंजीम (26 जुलाई) के अनुसार असगर अली के तार बांग्लादेश के एक इस्लामिक आतंकी संगठन से जुड़े होने की पुष्टि हुई है। मौलाना मुफ्ती असगर अली मोतीहारी के रामगढ़वा गांव का रहने वाला है और उसने सहारनपुर में एक इस्लामिक मदरसे से शिक्षा प्राप्त की थी। असगर अली ढाका कस्बा की बड़ी मस्जिद में रहता था। जांच एजेंसी ने मस्जिद के नायब इमाम मोहम्मद निसार को भी हिरसात में लिया है।

मुंबई उर्दू न्यूज (25 जुलाई) के अनुसार राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने फुलवारी शरीफ केस के सिलसिले में यूएपीए कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया है और इस संबंध में पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से पुलिस से सेवानिवृत्त मोहम्मद जलालुद्दीन और अतहर परवेज भी शामिल हैं। समाचारपत्र ने दावा किया है कि इस गिरोह के कब्जे से एक दस्तावेज भी बरामद हुआ है, जिसका शीर्षक है, 'इंडिया : विजन 2047', जिसमें इस्लामिक देशों से सहायता प्राप्त करके गजवा-ए-हिंद अभियान को तेज करने का उल्लेख किया गया है।

इससे पूर्व तेलंगाना के निजामाबाद में भी एक दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया गया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने दावा किया है कि पॉपुलर फ्रंट वहां पर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करके मुसलमानों को अस्त्र-शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण देता था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी इस बात की भी जांच कर रही है कि इस संगठन को विदेशी स्रोतों से कितना रुपया प्राप्त हुआ है।

रोजनामा सहारा (21 जुलाई) के अनुसार राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जम्मू-कश्मीर में एक दर्जन स्थानों पर छापे मारे। पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा और टीआरफ से संबंधित कुछ आतंकवादियों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से विदेशी अस्त्र-शस्त्र बरामद किया है। कश्मीर जोन के पुलिस ने यह दावा किया है कि गिरफ्तार किए गए लोगों के कब्जे से 15 पिस्तौल, 30 मैग्जीन और 300 गोलियां बरामद हुई हैं। इस समाचार के अनुसार राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में भी अनेक स्थानों पर छापे मारे थे और वहां से अनेक विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया था, जिनका संबंध श्रीलंका में प्रतिबंधित इस्लामिक संगठनों से पाया गया है। पुलिस का दावा है कि तस्करों द्वारा श्रीलंका से केरल में भारी मात्रा में अवैध अस्त्र-शस्त्र और मादक पदार्थ लाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इसके अतिरिक्त चेन्नई में भी कम-से-कम दस स्थानों पर छापे मारे और इस संबंध में कुछ लोगों को हिरासत में लिया, जिनका संबंध प्रतिबंधित संगठन लिट्टे से बताया जाता है। जांच एजेंसी का दावा है कि यह गिरोह भारत में हिंसा फैलाने के लिए श्रीलंका से आधुनिक अस्त्र-शस्त्रों को तस्करी करके ला रहा था।

रोजनामा सहारा (30 जुलाई) के अनुसार राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने असम में एक दर्जन से अधिक मदरसों और मस्जिदों पर छापे मारे। इन छापों के दौरान दस व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनका संबंध इस्लामिक आतंकी संगठन अलकायदा से बताया जाता है। पुलिस ने कम-से-कम दो मदरसों को सील कर दिया है, जिसके बारे में यह दावा किया जा रहा है कि वहां पर अलकायदा से संबंधित आतंकी शरण लिए हुए थे। इस संबंध में जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं, उनमें से असगर अली, अब्बास अली और मुफ्ती मुस्तफा को इस गिरोह का 'रिंग लीडर' बताया गया है। ये लोग मस्जिदों के इमाम बताए जाते हैं। असम के विशेष पुलिस महानिदेशक जी.पी. सिंह ने बताया कि आरोपियों को मोरीगांव, बारपेटा, कामरूप और गोवालपारा से हिरासत में लिया गया है। इनका संबंध अलकायदा और अंसारूल्लाह, बांग्लादेश से है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इन्हें विदेशी धन किन सूत्रों से प्राप्त होता था। जी.पी. सिंह ने बताया कि इस गिरोह का सुराग बेंगलुरु में अख्तर हुसैन नामक व्यक्ति

की गिरफ्तारी से मिला। इससे पूछताछ के बाद असम के अनेक भागों में छापे मारे गए हैं और अभी तक 14 व्यक्ति गिरफ्तार किए जा चुके हैं।

रोजनामा सहारा (31 जुलाई) के अनुसार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया दिल्ली के अंबेडकर भवन में एक सम्मेलन का आयोजन करने वाला था, जिसे दिल्ली पुलिस ने रद्द कर दिया। दिल्ली पांपुलर फ्रंट के अध्यक्ष परवेज अहमद ने आरोप लगाया है कि पुलिस की यह कार्रवाई लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। इस सम्मेलन को आजादी के अमृत महोत्सव के सिलसिले में आयोजित किया जा रहा था।

जौहर विश्वविद्यालय के भवन को वापस करने का निर्देश

इंकलाब (23 जुलाई) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में आजम खान के मामले में योगी सरकार को मुंह की खानी पड़ी है। सर्वोच्च न्यायालय ने रामपुर के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जौहर विश्वविद्यालय क सीलबंद दो भवनों को तुरंत वापस करने का निर्देश दिया है। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय ने आजम खान की जमानत के फैसले में उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई शर्त पर भी दु:ख प्रकट किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यायालय से यह मांग की थी कि आजम खान के रामपुर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाए, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया। आजम खान के मामले में जमानतों पर उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई शर्तों पर टिप्पणी करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जमानत के फैसलों में असंबंधित शर्तें लगाने का चलन तेजी से बढ़ता जा रहा है, जो बेहद चिंताजनक है। उच्च न्यायालयों को इस तरह की शर्तें लगाने से परहेज करना चाहिए।

गौरतलब है कि 10 मई को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जौहर विश्वविद्यालय के न्यासी मोहम्मद आजम खान को शत्रु संपत्ति और कुछ किसानों की जमीनों को जबरन विश्वविद्यालय में शामिल करने के मामले में जमानत देते हुए रामपुर के जिलाधिकारी को यह निर्देश दिया था कि वे जमानत की शर्त के तौर पर विश्वविद्यालय परिसर के कुछ हिस्सों को 30 जून तक अपने कब्जे में लेकर उसे सीलबंद कर दें। रामपुर के जिलाधिकारी ने जल्दबाजी से काम लेते हुए 18 मई को ही विश्वविद्यालय के दो भवनों को अपने कब्जे में लेकर सील कर दिया था, इनमें से एक में डीन और दूसरे में प्रशासकीय अधिकारी के कार्यालय थे। यही नहीं रामपुर प्रशासन न मुंबई स्थित शत्रु संपत्ति की देखभाल करने वाले संस्थान से आग्रह किया था कि वह विवादित भूमि को अर्धसैनिक बलों के हवाले कर दे। ताकि वे वहां पर अपना प्रशिक्षण शिविर स्थापित कर सकें।

सर्वोच्च न्यायायल में आजम के वकील ने यह आरोप लगाया कि रामपुर प्रशासन का इरादा उच्च न्यायालय के इस आदेश की आड़ में विश्वविद्यालय के कुछ भवनों को ध्वस्त करने का था और उसने विश्वविद्यालय के रजिस्टार को इन भवनों को खाली करने का निर्देश भी दिया था। जब सर्वोच्च न्यायालय की न्यायपीठ के सामने आजम खान के वकील कपिल सिब्बल ने इस मामले को रखा तो सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर हैरानी व्यक्त की कि उच्च न्यायालय जमानत देते समय मनमानी शर्तें कैसे लगा सकता है? जहां तक इस मामले का संबंध है इलाहाबाद उच्च न्यायालय को सिर्फ जमानत से संबंधित निर्णय देना चाहिए था और उसे कोई शर्त नहीं लगानी चाहिए थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने अदालत से अनुरोध किया था कि अगले छह महीने तक आजम खान के रामपुर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, क्योंकि वे प्रभावशाली व्यक्ति हैं और वे गवाहों

को प्रभावित कर सकते हैं, मगर अदालत ने इस अनुरोध को ठुकरा दिया।

गौरतलब है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में आजम खान की जमानत की अपील काफी समय से पड़ी हुई थी और अदालत कोई फैसला नहीं कर पा रही थी। इसके बाद कपिल सिब्बल ने सर्वोच्च न्यायालय से गुहार लगाई थी, जिसका नोटिस लेते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय को यह निर्देश दिया था कि वे जमानत पर जल्दी फैसला करें।

सालार (30 जुलाई) में प्रकाशित एक लेख में प्रो. अख्तरुल वासे ने कहा है कि मुसलमान शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़े हुए हैं। इसलिए महात्मा गांधी और पंडित नेहरू ने अलीगढ़ विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया के संवर्धन की ओर विशेष ध्यान दिया। डॉ. मनमोहन सिंह के शासनकाल में गठित सच्चर कमेटी ने भी मुसलमानों के पिछड़ेपन की पुष्टि की। उन्होंन कहा कि यही कारण है कि मुंबई का अंजुमन इस्लाम, मेमन एजुकेशन एंड वेल्फेयर सोसायटी, आजम एजुकेशन ट्रस्ट, पुणे, ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशन सोसायटी, अल अमीन एजुकेशन सोसायटी, अनवरुल उलूम कॉलेज, हैदराबाद जैसे अनेक मुस्लिम संगठन मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए गठित किए गए थ। जब सरकार ने निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने की अनुमति देनी शुरू की तो मुसलमानों ने इंटेगरल सोसायटी लखनऊ, अल फलाह यूनिवर्सिटी, धौज (हरियाणा), ग्लोबल यूनिवर्सिटी सहारनपुर, मौलाना आजाद विश्वविद्यालय, जोधपुर और अल-करीम विश्वविद्यालय, कटिहार जैसी विश्वविद्यालय स्थापित किए। इसी तरह से रामपुर में आजम खान ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय स्थापित किया, मगर राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण इस विश्वविद्यालय को सरकार ने मान्यता प्रदान नहीं की। बाद में जब अजीज कुरैशी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बने तो उन्होंने सरकार की ओर से इसको मान्यता प्रदान कर दी। अब इस विश्वविद्यालय के रास्ते में कुछ लोग बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं, जो निंदनीय है।

कर्नाटक में भाजपा नेता की हत्या से तनाव

इंकलाब (28 जुलाई) के अनुसार दक्षिण कन्नड जिला में भाजपा युवा मोर्चा के नेता प्रवीण नेत्तारु की हत्या के बाद राज्य में अनेक स्थानों पर तनाव उत्पन्न हो गया है। प्रवीण मंगलवार की रात को जब अपनी दुकान से घर लौट रहे थे तभी कुछ लोगों ने धारदार हथियार से उनकी हत्या कर दी।

इंकलाब (29 जुलाई) के अनुसार सरकार ने इस हत्या की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दी है और उसने इस हत्या के सिलसिले में दो मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार भी किया है, जिनके नाम जाकिर और मोहम्मद शफीक बताए जाते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा है कि राज्य में देशद्रोही और सांप्रदायिक तत्वों से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश के 'योगी मॉडल' को कर्नाटक में लागू किया जाएगा।

अवधनामा (30 जुलाई) के अनुसार हिजाब पर प्रतिबंध, मुस्लिम व्यापारियों का बहिष्कार और बजरंग दल के एक कार्यकर्ता सहित तीन नौजवानों के कत्ल के बाद कर्नाटक में वातावरण तनावपूर्ण हो गया है। समाचारपत्र ने कहा है कि दक्षिण कन्नड जिला के सूरतकल में एक मुस्लिम नौजवान मोहम्मद फाजिल की हत्या के बाद तनाव में बढ़ोतरी हो गई है। इस मुस्लिम नौजवान की हत्या 26 जुलाई की रात को हुई थी। पुलिस ने राज्य में धारा 144 लगा दी है और मुसलमानों को निर्देश दिया है कि वे घर के अंदर ही नमाज अदा करें। पुलिस ने यह फैसला उग्र प्रदर्शनों को रोकने के लिए किया है। बताया जाता है कि जब फाजिल घर के बाहर खड़ा हुआ था तो कुछ युवकों ने चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी थी।

समाचारपत्र का दावा है कि हिंसा का यह सिलसिला 20 जुलाई को तब शुरू हुआ था जब 18 वर्षीय मसूद पर एक गिरोह ने हमला करके उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। अगले दिन अस्पताल मं मसूद की मृत्यु हो गई। पुलिस ने हत्या के सिलसिले में आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। समाचार एजेंसी 'आई.ए.एन.एस.' के सूत्रों से यह समाचार मिला है कि ये तीनों हत्याएं बदले की भावना से की गई हैं। आरोप यह है कि भाजपा युवा मोर्चा के प्रवीण नामक जिस नेता की हत्या की गई है वे मसूद के कत्ल के आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रहे थे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने प्रवीण के घर पर जाकर संवेदना व्यक्त की और सरकार की ओर से उन्हें 25 लाख रुपये का चेक भी दिया गया। इसके अतिरिक्त भाजपा की ओर से भी 25 लाख रुपये की सहायता इस परिवार को दी गई है।

मंगलूरु के पुलिस कमिश्नर एन. शशि कुमार ने कहा है कि फाजिल की हत्या के उद्देश्य का अभी तक पता नहीं चल सका ह। फाजिल की हत्या के बाद मंगलूरु जिले में स्थिति तनावपूर्ण है। राज्य के मंत्री सी.एन. अश्वथ नारायण ने कहा

है कि अब ऐसी हत्याओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्य में एनकाउंटर करने का समय आ गया है। हम आने वाले दिनों में ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं, जिसके डर की वजह से भविष्य में कोई बदमाश हत्या करने की हिम्मत नहीं करेगा। फाजिल की हत्या के बाद मंगलूरु और उडुपी जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और सभी स्कूल तथा कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। पुलिस सख्ती से काम कर रही है।

सियासत (31 जुलाई) के अनुसार मुस्लिम कमेटी ने मारे गए मसूद और फाजिल के परिवारजनों को 30 लाख रुपये सहायता देने की घोषणा की है।

सालार (30 जुलाई) ने अपने संपादकीय में तटीय कर्नाटक में हो रही हत्याओं पर चिंता प्रकट की है और कहा है कि सरकार का रूख एकपक्षीय है। सरकार की यह जिम्मेवारी है कि वह धर्म और मजहब की चिंता किए बिना सभी नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करे। समाचारपत्र ने बढ़ती हुई हत्याओं के लिए भाजपा सरकार को दोषी ठहराया है।

सियासत (30 जुलाई) ने अपने संपादकीय में कर्नाटक में बढ़ती हुई हत्याओं पर चिंता प्रकट करते हुए कहा है कि जैसे-जैसे राज्य में विधान सभा के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वोटों के ध्रुवीकरण के लिए राज्य के मुख्यमंत्री और उनके सहयोगी मुसलमानों को धमकियां दे रहे हैं। हाल ही में उन्होंने यह संकेत दिया है कि मुसलमानों को दबाने व कुचलने के लिए राज्य सरकार कोई भी कदम उठाएगी। इससे पूर्व मुसलमानों को परेशान करने के लिए सरकार ने हिजाब के खिलाफ अभियान चलाया था। इसके बाद हलाल गोश्त के खिलाफ अभियान चलाया गया। राज्य में नफरत का माहौल पैदा करने के लिए सुनियोजित प्रयास किया जा रहा है और कोशिश यह है कि सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काकर अपनी सत्ता को मजबूत किया जाए। एनकाउंटर की धमकियों से किसी समस्या का समाधान नहीं हाने वाला है।

नाबालिग मुस्लिम लड़कियों के निकाह को अवैध करार देने की मांग

मुंबई उर्दू न्यूज (24 जुलाई) के अनुसार उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका के आधार पर उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। इस याचिका में कहा गया है कि 18 वर्ष से कम उम्र के मुस्लिम लड़कियों की शादी को गैरकानूनी करार दिया जाए। यह जनहित याचिका यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने दायर की थी। इस याचिका पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आर.सी. खुल्बे की डिविजन बेंच ने सुनवाई करते हुए केंद्र और उत्तराखंड सरकार से जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया है कि

मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत 18 वर्ष से कम आयु की लड़कियों की शादी भी जायज है। इसलिए न्यायपालिका की यह जिम्मेवारी है कि वह 18

वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को सुरक्षा प्रदान करे। याचिका में यह भी दावा किया गया है कि कम उम्र की शादी से लड़कियों में स्वास्थ्य की अनेक समस्याएं पैदा होती हैं। साथ ही 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों की शादी पोक्सो एक्ट के तहत एक अपराध है, इसलिए 18 वर्ष से कम आयु की लड़कियों की शादी को अवैध घोषित किया जाए और उनसे शारीरिक संबंध बनाने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए।

हमारा समाज (28 जुलाई) के अनुसार जमीयत उलेमा के नेता अरशद मदनी ने कहा कि कुछ शरारती लोग मुस्लिम शरिया में अनुचित रूप से हस्तक्षेप कर रहे हैं जो कि मुसलमानों को संविधान में दी गई गारंटी का खुला उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि शरिया में निकाह के लिए कोई आयु निधारित नहीं है। रजस्वला होने वाली लड़की का निकाह किया जा सकता है और उसे इस्लाम में पूरी मान्यता प्राप्त है।

मुख्य न्यायाधीश द्वारा मीडिया ट्रायल की आलोचना

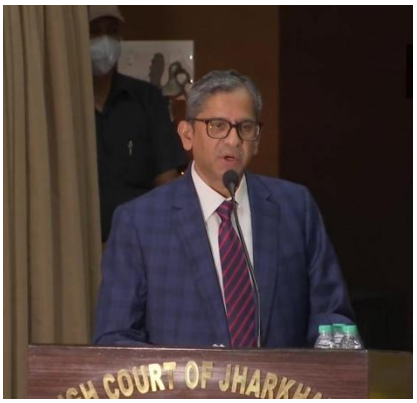

रोजनामा सहारा (24 जुलाई) के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना ने कहा है कि मीडिया द्वारा चलाई जा रही 'कंगारू अदालतें' और 'निश्चित एजेंडे' पर आधारित टीवी पर होने वाली चर्चा लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। मुख्य न्यायाधीश ज्युडिशियल एकेडमी, रांची में भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मीडिया ट्रायल द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्ष कामकाज प्रभावित होता है। मीडिया ट्रायल से निष्पक्ष रूप से निर्णय करने में कठिनाई होती है। मीडिया और विशेष रूप से सोशल मीडिया में न्यायाधीशों के खिलाफ अभियान चलाया जाता है। इससे अनुभवी न्यायाधीशों को भी फैसले करने में कठिनाई होती है। उन्होंने कहा कि मीडिया द्वारा जनता के सामने जो विचार किसी निश्चित लक्ष्य के तहत परोसे जाते हैं, उससे लोकतंत्र कमजोर होता है और न्यायपालिका की व्यवस्था को भी क्षति पहुंचती है। उन्होंने कहा कि प्रिंट मीडिया में अब भी कछ हद तक जिम्मेवारी बची है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किसी जवाबदेही की परवाह नहीं करता। कई बार मीडिया में और विशेष रूप से सोशल मीडिया पर न्यायाधीशों के खिलाफ अभियान चलाया जाता है, इसलिए यह जरूरी है कि मीडिया के लिए आचार संहिता बनाई जाए और उसकी जिम्मेवारी तय की जाए।

रोजनामा सहारा ने 29 जुलाई को एक समाचार प्रकाशित किया है, जिसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय में एक केस की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड ने मीडिया पर सख्त टिप्पणी की है और कहा है कि न्यायाधीशों को निशाना बनाने की भी एक हद होती है। उन्होंने यह टिप्पणी न्यायाधीशों द्वारा मुकदमों की सुनवाई न करने के बारे में मीडिया रिपोर्ट पर की थी। एक वकील ने एक मुकदमे में यह मांग की थी कि ईसाईयों के खिलाफ हिंसा और हमलों के मुकदमों को सूची मं शामिल किया जाए। इस पर चंद्रचूड ने कहा कि मैंने इस संदर्भ में एक समाचार पढ़ा है कि इस मामले को सुनवाई में शामिल नहीं किया गया। जस्टिस चंद्रचूड ने कहा कि मैं कोरोना का शिकार हो गया था, इसलिए यह केस स्थगित कर दिया गया था। न्यायाधीशों को लक्ष्य बनाने की भो एक सीमा होती है। गौरतलब है कि इस संबंध में एक

याचिका बेंगलुरु के बिशप डॉ. पीटर मचाडो की ओर से दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि देश भर में ईसाई पादरियों और उनसे संबंधित संस्थानों पर हमलों और हिंसा की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हो रही है। उन्होंने अदालत से मांग की थी कि ईसाई पादरियों और ईसाई संस्थाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए अदालत को राज्य सरकार को निर्देश जारी करना चाहिए।

हमारा समाज (25 जुलाई) ने अपने संपादकीय में मीडिया की करतूत पर मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी का समर्थन किया है और कहा है कि इससे पूर्व भी मुख्य न्यायाधीश मीडिया पर टिप्पणी करते रहे हैं, मगर इस बार उनकी टिप्पणी काफी कड़ी है। कंगारू कोर्ट उन फर्जी अदालतों को कहा जाता है जो किसी व्यक्ति, ट्रेड यूनियन या अन्य किसी संस्थान द्वारा चलाए जाते हैं। समाचारपत्र ने कहा है कि सोशल मीडिया और टेलीविजन पर जिस तरह से एक निर्धारित लक्ष्य के तहत बहस करवाई जातो है वह सामाजिक तनाव पैदा करता है, जो लोकतंत्र के हित में नहीं है।

इंकलाब (24 जुलाई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि देश के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना अब तक कई फैसलों, टिप्पणियों और बयानों द्वारा देश के वर्तमान हालात को आलोचना का निशाना बना चुके हैं। उनकी टिप्पणी दो टूक होती है। गत दिनों भी उन्होंने जो कुछ कहा है वह बिना लाग-लपेट के कहा है। इस ताजा टिप्पणी में उन्होंने मीडिया के गैरजिम्मेवार रवैये को निशाना बनाते हुए कहा है कि मीडिया कंगारू कोर्ट खोलकर बैठा हुआ है और वह इनमें मनमाने फैसले सुनाता है, जिसके कारण न्यायाधीशों को फैसला करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि मीडिया का रवैया पछपातपूर्ण और एक खास एजेंडे के तहत समाचारों को परोसने वाला है। वह कोई जानकारी नहीं देता। यह टिप्पणी उन लोगों की भावनाओं को व्यक्त करती है जो देश की मीडिया से तंग आ चुके हैं। यह अलग बात है कि उनकी संख्या जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। देश में आज भी ऐसे कम लोग हैं जिनमें यह हिम्मत हो कि वे मीडिया और चैनल वालों को यह साफ शब्दों में बता पाएं कि अगर उन्होंने झूठ परोसने का यह सिलसिला जारी रखा तो वे इसका बहिष्कार करके अन्य स्रोतों से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे।

समाचारपत्र ने कहा है कि गत कुछ वर्षों से मीडिया जिस तरह से पछपातपूर्ण रवैया अपना रहा है, उसके कारण जनता के दिलों में उसकी इज्जत कम हो रही है। आज तक पत्रकारिता से संबंधित लोगों के बारे में यह समझा जाता था कि वे ज्यादा सच जानते हैं और उसे परोसते हैं, मगर आज उन्हें ज्यादा झूठ बोलने वाला करार दिया जा रहा है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनकी तीन श्रेणियां हैं। एक वे हैं जो नौकरी की मजबूरी के कारण पत्रकारिता क बुनियादी सिद्धांतों से दूर होने पर मजबूर हैं। दूसरे वे लोग हैं, जिन्होंने इस नीति को खुशी से स्वीकार कर लिया और पत्रकारिता की निष्पक्षता के बारे में उन्हें जो शिक्षा दी गई थी उसे उन्होंने दरिया में बहा दिया, ताकि वे नुकसान उठाने की बजाय ज्यादा-से-ज्यादा फायदा बटोर सकें। यह सिर्फ अवसरवादिता है, जिससे कुछ समय के लिए लाभ तो हो सकता है, मगर इन लोगों की न तो इज्जत होगी और न ही उनकी लोकप्रियता में वृद्धि होगी। तीसरी श्रेणी उन पत्रकारों की है जो मुश्किल हालात में पत्रकारिता की निष्पक्षता के सिद्धांतों पर अड़िग हैं। उन्हें बुरा-भला भी कहा जाता है। उन पर आफत भी ढ़ाए जाते हैं, मगर ये अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते। ये व लोग हैं जो वर्तमान युग में पत्रकारिता की आबरू हैं और लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर तरह की परेशानी का सामना कर रहे हैं।

विश्व बैंक द्वारा श्रीलंका को कर्ज देने से इंकार

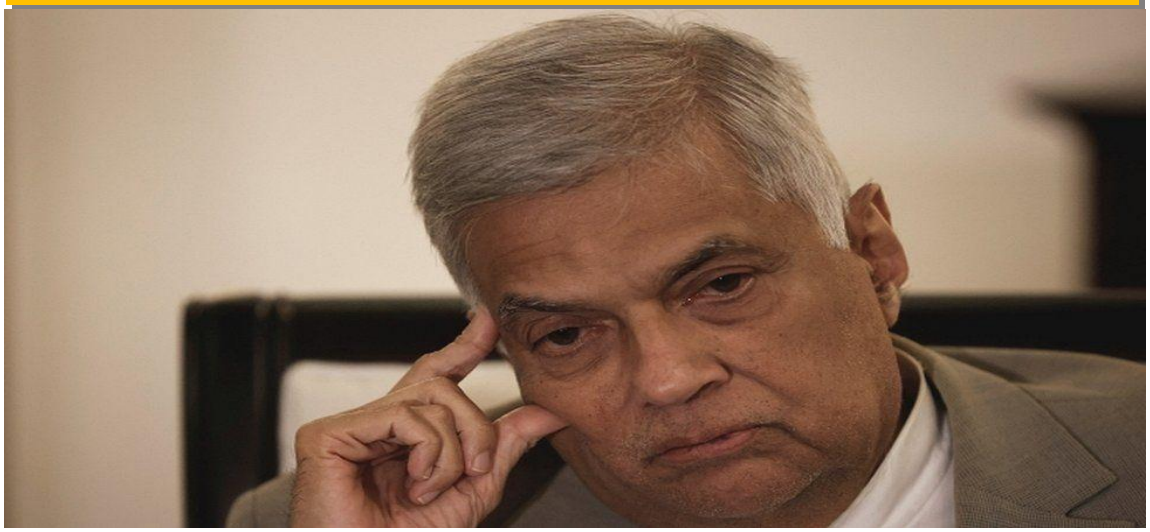

इंकलाब (31 अगस्त) के अनुसार विश्व बैंक ने श्रीलंका को कर्ज देने से इंकार कर दिया है और कहा है कि जब तक दिवालिया होने वाला देश अपनी चौपट अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाता तब तक विश्व बैंक उसे किसी तरह का ऋण नहीं देगा। गौरतलब है कि इस समय श्रीलंका आर्थिक संकट का शिकार है और उसके सवा दो कराड़ नागरिक कई महीनों से खाद्य, ईंधन की संकट और बढ़ती हुई महंगाई को सहन कर रहे हैं। विश्व के 51 अरब डॉलर की अदायगी न कर पाने के कारण अप्रैल महीने में श्रीलंका को दिवालिया करार दिया गया था और उसके बाद ही देश मं सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शनां का सिलसिला शुरू हो गया था। इस कारण तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा।

विश्व बैंक ने कहा है कि हालांकि वह श्रीलंका की जनता की कठिनाईयों से सहानुभूति रखता है, मगर वह उस समय तक उसे किसी तरह की आर्थिक सहायता नहीं देगा जब तक वहां की सरकार अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं कर लेती। श्रीलंका क आर्थिक संकट को देखते हुए विश्व बैंक ने यह कहा है कि श्रीलंका अपने कर्ज में से सोलह करोड़ डॉलर दवाईयों, रसोई गैस और बच्चों के खाने पर खर्च कर सकता है। श्रीलंका सरकार इस समय अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अधिकारियों के साथ आर्थिक संकट से उबरने के लिए विभिन्न उपायों पर बातचीत कर रही है। श्रीलंका के पास आवश्यक वस्तुओं को विदेशों से खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार नहीं है। इसके कारण जनता में जनाक्राश भड़का हुआ है।

संयुक्त राष्ट्र संघ के विश्व खाद्य कार्यक्रम का अनुमान है कि इस संकट के कारण श्रीलंका के 85 प्रतिशत लोगों को भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है। जनाक्रोश को देखते हुए इस महीने के मध्य में उग्र प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर धावा बोल दिया था। इसके बाद पूर्व राष्ट्रपति राजपक्षे त्यागपत्र देने से पहले ही भागकर मालदीव चले गए और फिर वहां से सिंगापुर चले गए। श्रीलंका में अब राष्ट्रपति का पदभार रानिल विक्रमसिंघे ने संभाल ली है और उन्होंने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है।

इंकलाब (27 जुलाई) के अनुसार देश की चिकित्सा व्यवस्था बिल्कुल ठप हो गई है और अस्पतालों में न तो डॉक्टर हैं और न ही दवाईयां। एक अन्य समाचार के अनुसार श्रीलंका ने चीन से अनुरोध किया है कि वह वर्तमान आर्थिक संकट से मुक्ति दिलाने के लिए उसे तुरंत चार अरब डॉलर की आर्थिक सहायता प्रदान करे। इसके अतिरिक्त श्रीलंका ने चीन से पूंजी निवेश करने और पर्यटन और व्यापार में सहयोग देने का भी अनुरोध किया है।

इंकलाब (22 जुलाई) के अनुसार श्रीलंका के नए राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने भारी विरोध-प्रदर्शन के दौरान अपने पद की शपथ ली है। उन्हें श्रीलंका के मुख्य न्यायाधीश जयंत जयसूर्या ने संसद में शपथ दिलाई है। गौरतलब है कि विक्रमसिंघे को सांसदों ने कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में चुना है। प्रदर्शनकारियों ने नए राष्ट्रपति को मानने से इंकार कर दिया है और कहा है कि वे देश की वर्तमान आर्थिक बदहाली के लिए आंशिक रूप से जिम्मेवार हैं। इंटर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट फेडरेशन के नेता वसंथा कुमारा मुदलिगे ने कहा है कि रानिल विक्रमसिंघे का चुनाव जनता द्वारा नहीं किया गया है, इसलिए हम उन्हें अपना राष्ट्रपति स्वीकार नहीं कर सकते।

15 लाख अफगान नागरिक पाकिस्तान में

रोजनामा सहारा (27 जुलाई) के अनुसार इस समय सबसे ज्यादा अफगान शरणार्थी पाकिस्तान में रह रहे हैं। उनकी संख्या 15 लाख बताई जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के शरणार्थियों से संबंधित रिपोर्ट के अनुसार गत वर्ष के प्रारंभ में पाकिस्तान में 12 लाख 52 हजार 800 अफगान नागरिक पंजीकृत शरणार्थियों के रूप में रह रहे थे और 1 लाख 19 हजार 700 गैर पंजीकृत अफगान नागरिक भी पंजीकरण का इंतजार करते हुए पाकिस्तान में डेरा डाले हुए थे। सरकारी अनुमान के अनुसार अगस्त 2021 से लेकर अब तक ढ़ाई लाख अफगान नागरिक पाकिस्तान में शरण ले चुके हैं। म्यांमार के 9 लाख 18 हजार 900 शरणार्थी बांग्लादेश में शरण ल चुके है। जबकि तीसरे नम्बर पर ईरान है। यहां पर आठ लाख अफगान नागरिकों ने शरण ली है। चोन में तीन लाख से ज्यादा विदेशी नागरिकों ने शरणार्थी के रूप में शरण ली है। इनमें लगभग सभी वियतनाम के नागरिक हैं। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इस समय विश्व के 98 देशों में 27 लाख अफगान शरणार्थियों ने शरण ले रखी है। इसके अतिरिक्त असुरक्षा और आंतरिक युद्ध के कारण दक्षिण पूर्वी एशिया के सात देशों में 44 लाख लोग बेघर हैं। ऐसे बेघर लोगों में सबसे ज्यादा अफगान नागरिक हैं, जिनकी संख्या 35 लाख बताई जाती है। दूसरे नंबर पर म्यांमार के नागरिक हैं, जिनकी संख्या 7 लाख 70 हजार बताई गई है।

म्यांमार में लोकतांत्रिक व्यवस्था के चार समर्थकों को फांसी

रोजनामा सहारा (26 जुलाई) के अनुसार म्यांमार में सेना ने लोकतंत्र की मांग करने वाले चार कार्यकर्ताओं को आतंकवादी गतिविधियों में भाग लेने के कारण फांसी पर लटका दिया है। ब्रिटिश संवाद समिति 'रॉयटर्स' के अनुसार म्यांमार में कई वर्षों के बाद किसी को फांसी पर लटकाया गया है। संवाद समिति के अनुसार इन चारों कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई बंद कमरे में हुई थी और उन पर यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने सेना के खिलाफ लड़ने वाली मिलिशिया को सहायता दी है।

गौरतलब है कि म्यांमार की सेना ने गत वर्ष देश में निर्वाचित सरकार का तख्ता पलटकर सत्ता पर कब्जा कर लिया था और इसके बाद से उन्होंने अपने विरोधियों को कुचलने के लिए देशव्यापी अभियान छेड़ा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इन फांसियों की निंदा की है और उसे लोकतंत्र को दबाने का घिनौना प्रयास बताया है। समाचारपत्र 'ग्लोबल न्यू लाइट' के अनुसार जिन लोगों को फांसी की सजा दी गई है वे वहां की नेता आंग सान सू की के समर्थक बताए जाते हैं। जिन लोगों को फांसी दी गई है उनमें मानवाधिकार संगठन के प्रमुख क्याव मिन यू और पूर्व वकील फयो जेया थाउ भी शामिल हैं। जिन दो अन्य लोगों को फांसी पर लटकाया गया है उनमें हला मयो आंग और आंग थुरा जाव शामिल हैं।

संवाद समिति ने जब सैनिक अधिकारियों से इन लोगों को फांसी दिए जाने की पुष्टि करने के लिए फोन किया तो किसी अधिकारी ने उनका फोन नहीं उठाया। लोकतंत्र समर्थक संगठनों के अनुसार सेना सत्ता पर कब्जा करने के लिए अब तक 1100 से अधिक लोगों की हत्या कर चुकी है। जबकि सैनिक सरकार का कहना है कि ये आंकड़े विश्वसनीय नहीं हैं। सैनिक सरकार के इस दावे का खंडन करते हुए एसोसिएशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिज्नर्स का कहना है कि लोकतंत्र समर्थक जिन लोगों को गोली से उड़ाया गया है उनकी पूरी सूची उनके पास है और उनके निकट संबंधियों ने अपने परिवारजनों को सेना द्वारा मारे जाने की भी पुष्टि की है। इस संगठन का दावा है कि 1980 के बाद अभी तक म्यांमार में किसी नागरिक को फांसी पर नहीं लटकाया गया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल का दावा है कि सेना ने अपने नागरिकों को देश से फरार होने से रोकने के लिए सीमा पर बारूदी सुरंगें बिछा रखी हैं, जिनमें कई लोग मारे गए हैं।

बांग्लादेश द्वारा आईएमएफ से साढ़े चार अरब डॉलर सहायता की मांग

इंकलाब (28 जुलाई) के अनुसार बांग्लादेश ने यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध के कारण पैदा हुए ऊर्जा संकट से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से सहायता मांगी है। बांग्लादेश सरकार का कहना है कि डीजल और गैस के उपलब्ध न होने के कारण देश भर में 13 से 15 घंटे तक बिजली गुल करनी पड़ रही है, जिससे देशवासियों को बेहद कष्ट हो रहा है। बांग्लादेश सरकार ने देश भर में फैली हुई लाखों मस्जिदों को निर्देश दिया है कि वे नमाज के समय एयरकंडीशन का इस्तेमाल न करें, क्योंकि विदेशी मुद्रा की कमी के कारण

सरकार विदेशों से गैस और डीजल पर्याप्त मात्रा में मंगवा नहीं पा रही है, जिससे बिजली उत्पादन में भारी कटौती करनी पड़ रही है। बांग्लादेश वित्त मंत्रालय के एक उच्चाधिकारी ने कहा कि हमने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से साढ़े चार अरब डॉलर की सहायता मांगी है ताकि हम वित्तोय संकट का सामना कर सकें। उन्होंने कहा कि डीजल की कमी के कारण सभी डीजल पावर प्लांट बंद कर दिए गए है। इसके अतिरिक्त गैस पर चलने वाले प्लांट्स के उत्पादन में भी भारी कटौती की गई है। इसके अतिरिक्त हाल ही में जो देश भर में भारी बाढ़ आई है उसके कारण 70 लाख लोग बेघर हुए हैं और दस अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। बांग्लादेश की विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने सरकार की गलत वित्तीय नीतियों को जिम्मेवार ठहराया है।

उत्तर कोरिया की अमेरिका पर परमाणु हमले की धमकी

रोजनामा सहारा (29 जुलाई) के अनुसार उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन ने यह धमकी दी है कि अगर अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने उसके खिलाफ आक्रामक कार्रवाईयां जारी रखीं तो वह परमाणु अस्त्र-शस्त्रों का इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करेगा। सरकारी मीडिया के अनुसार किम जोंग ने यह आरोप लगाया है कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया को बर्बाद करना चाहते हैं। हमारे सैनिक किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और हम परमाणु अस्त्र-शस्त्रों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया की सीमा पर जो सैनिक अभ्यास किए हैं उससे युद्ध का खतरा बढ़ गया है, इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने आप को सैनिक दृष्टि से मजबूत बनाएं, ताकि हम इन दोनों की ओर से किसी भी खतरनाक धमकी का सामना कर सकें। गौरतलब है कि हाल ही मं उत्तर कोरिया ने परमाणु हथियारों से लैश मिसाइलों का परीक्षण भी किया है जो अमेरिका और दक्षिण कोरिया को अपना निशाना बना सकते हैं।

पश्चिम एशिया

अरब जगत में वर्चस्व के लिए अमेरिका और रूस में होड़

अरब देशों में अपना कदम जमाने के लिए अमेरिका और रूस में जबर्दस्त होड़ लग गई है। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अरब देशों का दौरा किया है। दोनों का यह प्रयास है कि वे ज्यादा से ज्यादा अरब देशों को अपने गुट में शामिल करें।

रोजनामा सहारा (20 जुलाई) के अनुसार तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान और रूस के राष्ट्रपति पुतिन एक महत्त्वपूर्ण अधिवेशन में भाग लेने के लिए तेहरान पहुंचे। कहा जाता है कि इस सम्मेलन में सीरिया में गृह युद्ध रोकने और शांति स्थापित करने के बारे में विभिन्न पक्षों पर विचार किया गया। गौरतलब है कि ईरान और सीरिया दोनों ही शिया बहुल देश हैं। समाचारपत्रों क अनुसार रूस ईरान और तुर्की के साथ एक नया समूह बनाने की दृष्टि से सातवें शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इस सम्मेलन में ईरान और तुर्की के राष्ट्रपति एवं रूस के राष्ट्रपति ने भाग लिया। गौरतलब है कि यूक्रेन और रूस में छिड़े युद्ध के बाद ईरान रूस के साथ अपने संबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए विशेष रुचि ले रहा है।

रोजनामा सहारा (18 जुलाई) के अनुसार अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने हाल ही में सऊदी अरब और कई अन्य अरब देशों का दौरा किया और उन्होंने सऊदी अरब के जेद्दा में खाड़ी सहयोग परिषद की उच्चस्तरीय बैठक में भाग लिया। इस बैठक में जॉर्डन, मिस्र, इराक और अमेरिका ने भाग लिया। सऊदी अरब ने इसकी मेजबानी की। बैठक के बाद इन देशों ने एक वक्तव्य में आतंकवादी संगठनों, मिसाइलों और सैनिक तनाव को देखते हुए रक्षात्मक संबंध बढ़ाने पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। इजरायली मीडिया के अनुसार बाइडेन ने इजरायल को लेजर एयर डिफेंस सिस्टम को तैयार करने और उसे विकसित करने के लिए तकनीकी और आर्थिक सहयोग देने का जो फैसला किया है उसका लक्ष्य सऊदी अरब को ईरान के बढ़ते हुए खतरे के बारे

में संतुष्ट करना है। इसके साथ ही सऊदी अरब ने इजरायली जहाजों के लिए अपनी वायु सीमा खोलने का जो फैसला किया है वह भी इस दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम कहा जा सकता है।

हमारा समाज (17 जुलाई) के अनुसार सऊदी अरब और अमेरिका के संयुक्त वक्तव्य में आतंकवाद के खिलाफ अफगानिस्तान की सहायता करने और ईरान पर नकेल कसने के लिए सभी संबंधित कदम उठाने की इच्छा व्यक्त की गई है। इस अवसर पर सऊदी अरब और अमेरिका के बीच 18 समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए हैं।

मुंबई उर्दू न्यूज (16 जुलाई) के अनुसार अमेरिका में सऊदी अरब की राजदूत प्रिंसेस रीमा ने अमेरिकी राष्ट्रपति के सऊदी अरब दौरे को एक महत्त्वपूर्ण कदम बताया है और कहा है कि शुरू से अमेरिका और सऊदी अरब सोवियत कम्युनिस्टों को पराजित करने का प्रयास करते रहे हैं। इन दोनों देशों ने ईरान के बढ़ते हुए प्रभाव से निपटने और सद्दाम हुसैन को कुवैत से बाहर निकालने और हाल ही में अलकायदा और इस्लामिक स्टेट को नेस्तनाबूद करने के लिए शानदार काम किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और सऊदी अरब के बीच नए अध्याय की शुरुआत होगी।

सियासत (20 जुलाई) ने अपने संपादकीय में अमेरिकी राष्ट्रपति के पश्चिम एशिया के दौरे का उल्लेख करते हुए कहा है कि अमेरिका इजरायल और सुन्नी अरब देशों के बीच संबंधों को सुदृढ़ बनाना चाहता है ताकि ईरान की बढ़ती हुई परमाणु शक्ति से निपटा जा सके। समाचारपत्र ने इस बात की आलोचना की है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने फिलिस्तीनो क्षेत्रों पर इजरायल के अवैध कब्जे पर कोई टिप्पणी नहीं की। समाचारपत्र ने इस बात की आलोचना की है कि अमेरिका ने हमेशा मुसलमानों के हितों को नजरअंदाज करके इजरायल का समर्थन किया है। सऊदी अरब में बाइडेन ने युवराज मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। सीआईए का आरोप है कि 2018 में मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी पत्रकार जमाल खशोग्गी की हत्या का आदेश दिया था। पहले अमेरिका इस पत्रकार के हत्यारों को सजा दिलवाने के पक्ष में था, मगर बाद में उसने अपना दृष्टिकोण बदल लिया। बाइडेन ने अपने दौरे में यह स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका पश्चिम एशिया से नहीं जाएगा। अमेरिका चीन और ईरान के लिए जगह खाली नहीं करेगा। अमेरिका की नीति अरब देशों को ईरान के मुकाबले में खड़ा करने की है और वह इस संबंध में इराक का भी सहारा ले रहा है।

सालार (22 जुलाई) ने अमेरिका और सऊदी अरब के बीच बढ़ते हुए संबंधों का स्वागत किया है और कहा है कि इससे दोनों देशों के बीच नए संबंधों की शुरुआत होगी। ईरान से अनुरोध किया गया है कि वह इस क्षेत्र के देशों के अंदरूनी मामले में कोई हस्तक्षेप न करे। मोहम्मद बिन सलमान ने इराक में शांति को सारे क्षेत्र के लिए जरूरी करार दिया है और सीरिया और लीबिया की समस्याओं के समाधान की भी आशा व्यक्त की है। जेद्दा कांफ्रेंस में इराक के प्रधानमंत्री मुस्तफा अल-कादिमी, जॉर्डन के शाह अब्दुल्लाह, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल-सिसी, ओमान के प्रधानमंत्री हैथम बिन तारिक, बहरीन के राजा, कतर के अमीर, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कुवैत के युवराज ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया और अमेरिकी राष्ट्रपति से आपसी हितों के मामले पर विस्तृत चर्चा की।

रोजनामा सहारा (23 जुलाई) ने कहा है कि यूरोप में अमेरिका, नाटो और यूरोपीय यूनियन में कोहराम मचाने के बाद अब रूस ने पश्चिम एशिया में भी नया मोर्चा बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति के सऊदी अरब और अन्य सुन्नी देशों के हाल के दौरे से एक सप्ताह पहले रूस के राष्ट्रपति ने इस क्षेत्र के महत्त्वपूर्ण देश इरान का दौरा किया और उस समय एक

अन्य महत्त्वपूर्ण देश तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान भी मौजूद थे। इस संबंध में यह उल्लेख करना भी जरूरी है कि तुर्की अमेरिका द्वारा बनाए गए सैनिक समझौते नाटो का भी सदस्य है। तुर्की यूरोप और पश्चिमी देशों के साथ-साथ रूस के साथ भी तालमेल कर रहा है। रूस तुर्की, ईरान, इराक और सीरिया में अपने वर्चस्व को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। हाल ही में इन तीनों देशों के बीच जो बातचीत हुई है उससे सीरिया की समस्या के समाधान की संभावना में भी वृद्धि हुई है। सीरिया में अमेरिका ने अपनी सेनाएं उतार दी हैं। जबकि ईरान और रूस सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल-असद का समर्थन कर रहे हैं। रूस यह प्रयास कर रहा है कि सीरिया में जो गृहयुद्ध चल रहा है उसे समाप्त किया जाए।

हाल ही में इस संदर्भ में कजाकिस्तान की राजधानी नूर-सुल्तान में रूस की ओर से एक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तुर्की को काफी समय से कुर्दों के पृथकतावादी संगठनों के विद्रोह का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए तुर्की ने सीरिया में अंधाधुंध सैनिक कार्रवाई शुरू कर दी है। अमेरिका ने वहां एक सीमावर्ती सेना बनाने की पेशकश की थी, जिसे रूस ईरान आर तुर्की ने रद्द कर दिया है। ईरान के खिलाफ पश्चिमी देशों ने जो प्रतिबंध लगा रखे हैं उनको समाप्त करने के लिए रूस ने समर्थन करने की पेशकश की है। हाल ही में रूस के रक्षा विशेषज्ञों ने ईरान के सैनिक अड्डों का दौरा किया है और इस बात की संभावना है कि रूस ईरान को सैनिक दृष्टि से सशक्त बनाने का प्रयास करेगा। अरब के मुस्लिम देशों में अमेरिका और रूस की होड़ के कारण विश्व की राजनीति क्या नया मोड़ लेगी अभी इसका अनुमान लगाना सहज नहीं होगा। ■

इजरायल द्वारा ईरान पर हमले की तैयारी

मुंबई उर्दू न्यूज (19 जुलाई) के अनुसार इजरायली सेना प्रमुख अवीव कोचावी ने घोषणा की है कि इजरायल ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है, ताकि उसे परमाणु बम बनाने से रोका जा सके। उन्होंने कहा कि हम ताकत जमा कर रहे हैं और इजरायली फौज इरान पर हमले के लिए भरपूर तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि ईरानी परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ इजरायल का फौजी ऑपरेशन उसकी रक्षा के लिए जरूरी है। इसके लिए विभिन्न योजनाओं पर तैयारी चल रही है। साधन इकट्ठे किए जा रहे हैं और हथियार प्राप्त किए जा रहे हैं। ईरान के इरादों और उसकी तैयारियों पर नजर रखने के लिए गुप्तचर तंत्र को सक्रिय कर दिया गया है। इसके साथ ही इस हमले के लिए इजरायली सैनिकों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।

इससे पूर्व इजरायल के प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को स्पष्ट रूप से

बता दिया था कि हम ईरान के साथ किसी भी परमाणु समझौते के खिलाफ हैं और इजरायल ईरानी परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ हर कार्रवाई के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। जबकि दूसरी ओर बाइडेन ने गत सप्ताह इजरायल का दौरा किया है और उन्होंने कहा है कि ईरान के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल आखिरी विकल्प है। इरान ने अपनी मिलिशिया पासदारान-ए-इंकलाब को ब्लैक लिस्ट से हटाने की जो मांग की थी उसे अमेरिका ने ठुकरा दिया है।

अवधनामा (20 जुलाई) के अनुसार ईरान की मिलिशिया पासदारान-ए-इंकलाब की नौसेना के प्रमुख ने कहा है कि अगर इजरायल ने ईरान पर हमला करने की कोई कोशिश की तो उसका नामोनिशान मिटा दिया जाएगा। एडमिरल अली रजा तंगसिरी ने कहा कि अगर दुश्मन ने कोई गलत कदम उठाया या इस्लाम के खिलाफ कोई भी साजिश की तो हम इस साजिश के सभी केंद्रों को तहस-नहस कर देंगे। फारस की खाड़ी के देश अपनी रक्षा करना जानते हैं और हमें इस रक्षा के लिए किसी विदेशी शक्ति के सहयोग की कोई जरूरत नहीं है। हम अपनी रक्षा करना जानते हैं और अपने दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने की स्थिति में हैं।

इराक में तुर्की के हमले में नौ पर्यटक मारे गए

इत्तेमाद (22 जुलाई) के अनुसार इराक सरकार ने यह आरोप लगाया है कि तुर्की द्वारा तोपों से कुर्दिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र में एक गांव को निशाना बनाया गया था और इस हमले में नौ नागरिक मारे गए, जो पर्यटक थे। अरब न्यूज के अनुसार इराक की सरकारी मीडिया ने इस हमले की रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि मरने वालों में दो मासूम बच्चे भी शामिल हैं, जो इराक के जाखो जिले के एक गांव के एक पार्क में घूम रहे थे। तुर्की द्वारा इस हमले की इराक के प्रधानमंत्री न सख्त शब्दों में निंदा की है और कहा है कि यह तुर्क फौज की ओर से इराक की प्रभुसत्ता का खुला उल्लंघन है। इस हमले के कारण इराक के नागरिकों को जो नुकसान हुआ है, उसे हम किसी

कीमत पर सहन नहीं करेंगे। इराक जवाबी हमला कर सकता है और ऐसे अतिक्रमणों और अपनी जनता की रक्षा के लिए वह सभी फौजी कदम उठाने का अधिकार रखता है।

इराक के प्रधानमंत्री ने इस हमले की जांच के लिए विदेश मंत्री फ़आद हुसैन के नेतृत्व में

एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल तुर्की के हमले का निशाना बने गांव में स्थिति का जायजा लेने के लिए भेजा है। दूसरी ओर, तुर्की ने इस हमले में अपना हाथ होने से इंकार किया है और इराकी मीडिया से अपील की है कि वह इस तरह का आरोप लगाने में जल्दबाजी से काम न ले। इराक के सरकारी टेलीविजन चैनल ने नौ लोगों के मरने और 23 लोगों के घायल होने की पुष्टि की है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इराक सरकार ने कहा है कि गर्मी में सैकड़ों इराकी पर्यटक दक्षिण इराक के कुर्द पहाड़ी क्षेत्र में ठंडा मौसम होने की वजह से वहां जाते हैं। इराक के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि तुर्की का यह हमला अंतरराष्ट्रीय नियमों के सरासर खिलाफ है और हम इसे किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेंगे।

ईरान में इजरायली गुप्तचर तंत्र नष्ट

इत्तेमाद (25 जुलाई) के अनुसार ईरान ने यह दावा किया है कि उसने इजरायल की गुप्तचर एजेंसी मोसाद से संबंधित एक गिरोह को तहस-नहस कर दिया है। यह गिरोह इजरायल के इशारे पर ईरान में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए योजना बना रहा था। ईरान की सरकारी टेलीविजन चैनल के अनुसार यह इजरायली आतंकवादी एक पड़ोसी देश के कुर्द आबादी वाले क्षेत्र से ईरान में घुसे थे। हालांकि ईरान ने उस देश का नाम नहीं लिया है, जहां से ये जासूस ईरान में दाखिल हुए थे। परंतु तुर्की और इराक दोनों में कुर्द अल्पसंख्यक आबाद हैं। इराक में कुर्द मिलिशिया इराक की सरकार के खिलाफ काफी समय से सशस्त्र संघर्ष कर रही है, जिसमें अभी तक सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। ईरानी टेलीविजन चैनल के अनुसार इस गिरोह के दो दर्जन के लगभग आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके कब्जे से इजरायल में बने भारी मात्रा में अस्त्र-शस्त्र और विस्फोटक पदार्थ एवं अन्य सामग्री बरामद की है। टेलीविजन चैनल ने दावा किया है कि इजरायल ने ईरान में व्यापक पैमाने पर बमों के धमाके करने और मासूम नागरिकों के खून से होली खेलने की जो योजना बनाई थी उसे ईरानी सुरक्षा एजेंसियों ने विफल कर दिया है।

गौरतलब है कि गत महीने ईरान की सरकारी संवाद एजेंसी ईरना ने यह दावा किया था कि सिस्तान क्षेत्र में इजरायल की खुफिया एजेंसी से संबंधित तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था, जो ईरान के कुछ बड़े परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या करना चाहते थे। इससे पूर्व इजरायल की मोसाद ने ईरान के तीन बड़े परमाणु वैज्ञानिकों को मौत के घाट उतार दिया था। गत महीने तेहरान के समीप परमाणु रिएक्टर में एक धमाका हुआ था, जिसमें कई वैज्ञानिक मारे गए थ। ईरान की मिलिशिया पासदारान-ए-इंकलाब ने इसे विदेशी कार्रवाई बताया था।

मक्का में इजरायली पत्रकार के दाखिले से सनसनी

रोजनामा सहारा (22 जुलाई) के अनुसार हाल ही में सऊदी अरब में एक ऐसी घटना हुई है, जिसने पूरे मुस्लिम जगत में हलचल मचा दी है। एक यहूदी पत्रकार सऊदी कानून की धज्जियां उड़ाते हुए मक्का में दाखिल हुआ और उसने अनेक

इस्लामिक पवित्र स्थानों की डॉक्यूमेंट्री तैयार करके उसे वायरल कर दिया। इजरायल के न्यूज चैनल 13 ने एक रिपोर्ट साझा की है, जिसके अनुसार इजरायली पत्रकार न सिर्फ मक्का में दाखिल हुआ, बल्कि वह काबा और जबल अर-रहमाह जैसे पवित्र स्थानों में भी गया और वहां उसने इन पवित्र स्थानों की डॉक्यूमेंट्री तैयार करके उसे वायरल किया।

गौरतलब है कि सऊदी कानून के अनुसार कोई भी गैर-मुसलमान मक्का और मदीना की सीमा के 80-80 किलोमीटर तक दाखिल नहीं हो सकता। यह कानून कई शताब्दियों से लागू चला आ रहा है। एक डॉक्यूमेंट्री, जिसे टीवी पर भी प्रसारित किया गया है, उसमें इजरायली पत्रकार गिल तामरी के साथ एक सऊदी गाइड को भी दिखाया गया है। हालांकि उसकी पहचान छिपाने के लिए उसका चेहरा धुंधला कर दिया गया है। इस घटना की विश्व भर के मुसलमानों में तीव्र प्रतिक्रिया हुई है और उसे इस्लाम की तौहीन की संज्ञा दी गई है।

दूसरी ओर, इजरायल के टीवी चैनल ने इस डॉक्यूमेंट्री को एक महत्त्वपूर्ण पत्रकारीय उपलब्धि की संज्ञा दी है और साथ ही यह भी स्पष्टीकरण दिया है कि अगर इस प्रसारण से किसी को मानसिक रूप से आघात पहुंचा है तो वे उसके लिए क्षमा मांगते हैं। हालांकि इजरायल के एक मंत्री ने इसे मूर्खतापूर्ण और गैरजिम्मेवार हरकत बताया है। दोषी इजरायली पत्रकार ने इस घटना पर माफी मांगते हुए कहा है कि अगर किसी को यह वीडिया बुरी लगी हा तो मैं उससे माफी मांगता हूं। इस डॉक्यूमेंट्री का लक्ष्य मक्का और काबा के महत्व को प्रकट करना था। उसने यह भी कहा है कि वह किसी भी मुसलमान की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। यह सिर्फ उसका पत्रकारिता का प्रयास है। सऊदी ब्लॉगर मोहम्मद सउद न इस घटना की निंदा की है और इजरायलियों को संबोधित करते हुए कहा है कि आपका एक रिपोर्टर मुसलमानों के पवित्रतम नगर काबा में दाखिल हुआ और उसने वहां डॉक्यूमेंट्री तैयार की। इस्लाम की तौहीन करते हुए सभी इजरायलियों को शर्म आनी चाहिए।

रोजनामा सहारा (26 जुलाई) के अनुसार इजरायली पत्रकार को मक्का में दाखिल होने में सहायता उपलब्ध कराने वाले एक सऊदी नागरिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। सऊदी सरकार ने अभी तक उसकी पहचान को गुप्त रखा है और उससे पूछताछ की जा रही है। संवाद समिति एपी के अनुसार मुसलमानों के पवित्रतम स्थान मक्का और काबा में हालांकि प्रत्येक मुसलमान को दाखिल होने का अधिकार है, मगर काबा और मदीना से 80-80 किलोमीटर दूर तक कोई भी मुसलमान प्रवेश नहीं कर सकता। इस पत्रकार ने न सिर्फ काबा का ही छायांकन किया बल्कि उस स्थान की भी डॉक्यूमेंट्री बनाई जहां पर हजरत मोहम्मद ने 1400 वर्ष पूर्व अपना आखिरी खुतबा दिया था। इस यहूदी पत्रकार ने यह दावा किया है कि हजारों वर्ष में वह एक मात्र ऐसा गैर-मुसलमान है जो काबा और मक्का में दाखिल हुआ।

अन्य

औरंगाबाद का नाम बदलने के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती

औरंगाबाद टाइम्स (28 जुलाई) के अनुसार महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर रखने का जो फैसला किया है उसे औरंगाबाद के तोन नागरिकों ने मुंबई उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने त्यागपत्र देने से पहले औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलने का जो फैसला किया था वह संविधान के खिलाफ है और यह मुसलमानों की पहचान को मिटाने की राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। याचिका में कहा गया है कि बहुमत न होने के बावजूद राज्य सरकार के मंत्रिमंडल की जो बैठक आयोजित की गई थी वह असंवैधानिक है और उसमें किए गए सभी फैसले अवैध हैं। इसलिए राज्य सरकार के इस फैसले को तुरंत रद्द किया जाए।

हज कमेटी में सुधार की मांग

हमारा समाज (20 जुलाई) के अनुसार उत्तर प्रदेश हज कमेटी के अध्यक्ष हाफिज नौशाद अहमद आजमी ने केंद्रीय हज कमेटी और अल्पसंख्यक मामलों के पूर्व मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी पर गंभीर आरोप लगाते हुए यह मांग की है कि सरकार तुरंत अखिल भारतीय हज कमेटी का पुनर्गठन करे। उन्होंने आरोप लगाया कि हज कमेटी ऑफ इंडिया के संविधान के अनुसार कमेटी के सभी 19 सदस्यों को चुनाव में भाग लेने और वोट देने का अधिकार है, लेकिन पूर्व केंद्रीय मंत्री ने गैरकानूनी तौर पर सिर्फ आठ सदस्यों में ही हज कमेटी का चुनाव करवा दिया था, जो गैरकानूनी है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्तार अब्बास नकवी ने जानबूझकर सात स्थानों से हज उड़ानों पर रोक लगा दी थी और हज यात्रियों को दी जाने वाली कई सुविधाओं को भी

रद्द कर दिया है, जिन्हें जारी रखना हाजियों के हित में जरूरी है।

उन्होंने कहा कि नियमों के अनुसार सभी हाजियों को हज पर जाने से पूर्व प्रशिक्षण देने की व्यवस्था होनी चाहिए और इसके अतिरिक्त हाजियों की बीमा व्यवस्था को भी जारी रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अन्य पड़ोसी देशों ने हज यात्रियों के खर्चे में कटौती की है, जबकि भारत में हज पर होने वाले खर्च को बढ़ा दिया गया है। मक्का में हज यात्रियों के लिए आवास की तीन श्रेणियां थीं, जिनको समाप्त कर दिया गया है। इससे हज यात्रियों के आवास का खर्च बढ़ गया है। उन्होंने मांग की कि हज कमेटी का नियंत्रण पहले की तरह विदेश मंत्रालय के पास ही होना चाहिए।

अमरोहा में मदरसे को ध्वस्त करने पर विवाद

मुंबई उर्दू न्यूज (28 जुलाई) ने यह आरोप लगाया है कि अमरोहा के एक गांव के एक मदरसे को कुछ गैर-मुसलमानों की शिकायत पर गैरकानूनी तौर पर ध्वस्त कर दिया गया है। जबकि जिला प्रशासन का कहना है कि इस मदरसे का निर्माण अवैध रूप से सरकारी जमीन पर किया गया था। इस मदरसा के प्रबंधक इशाक अहमद ने इस सरकारी दावे का खंडन करते हुए कहा है कि जिस भूमि पर इस मदरसे का निर्माण किया गया था वह उनकी पैतृक भूमि है। एसडीएम सुधीर कुमार का कहना है कि यह मदरसा बिना सरकारी अनुमति के बनाया गया था। पहले वहां सिर्फ पशु बांधे जाते थे, बाद में इसे मदरसा का रूप दे दिया गया। जब राजस्व विभाग ने इस मामले की जांच की तो सरकारी रिकॉर्ड से इस बात की पुष्टि हुई कि यह मदरसा ग्राम सभा की भूमि पर अवैध रूप से बनाया गया था।

मध्य प्रदेश में भाजपा के टिकट पर मुसलमानों की जीत

मुंबई उर्दू न्यूज (31 जुलाई) के अनुसार मध्य प्रदेश क नगर निकाय चुनावों में भाजपा के टिकट पर 92 मुस्लिम उम्मीदवार विजयी रहे हैं। इस बार भाजपा ने 380 मुसलमानों को अपना टिकट देकर चुनाव के मैदान में उतारा था। भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले मुसलमानों ने कम-से-कम 25 वार्डों में कांग्रेस के हिंदू उम्मीदवारों को पराजित किया। मध्य प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता हितेश वाजपेयी ने कहा है कि इन चुनाव परिणामों से यह साफ हो गया है कि समाज के सभी वर्गों में भाजपा की लोकप्रियता बढ़ी है। भाजपा ने मुसलमानों को चुनावी मैदान में उतारा और वे सफल भी हुए।

इस समाचार पर टिप्पणी करते हुए **मुंबई उर्दू न्यूज** ने अपने संपादकीय में दावा किया है कि भाजपा का यह दावा राजनीतिक शोशाबाजी है। इससे पूर्व भी सिकंदर बख्त से लेकर मुख्तार अब्बास नकवी जैसे अनेक लोग भाजपा के टिकट पर जीते, मगर उन्होंने अपनी कौम की भलाई के लिए कोई कदम नहीं उठाया। इस समाचार से यह भी सवाल उठता है कि मुसलमान भयभीत होकर भाजपा की शरण में तो नहीं जा रहे हैं?

उम्रकैद की सजा पाने वाले की जमानत

हमारा समाज (16 जुलाई) के अनुसार औरंगाबाद शस्त्र केस में निचली अदालत से उम्रकैद की सजा पाने वाले बिलाल अहमद अब्दुल रजाक को मुंबई उच्च न्यायालय ने जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है। गत 14 वर्षों से बिलाल अहमद जेल में बंद था। उसे मकोका कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था और उस पर अवैध रूप से अस्त्र-शस्त्र रखने का

आरोप लगाया गया था। जमीयत उलेमा की ओर से बिलाल को जमानत पर रिहा करने की मांग की गई थी। जमीयत की डिफेंस कमेटी के सचिव गुलजार आजमी ने दावा किया है कि सरकार ने जिन मुसलमानों को विभिन्न झूठे मुकदमों में फंसाया है उनकी रिहाई का अभियान जमीयत जारी रखेगी।

RNI No. DELHIN/2017/72722

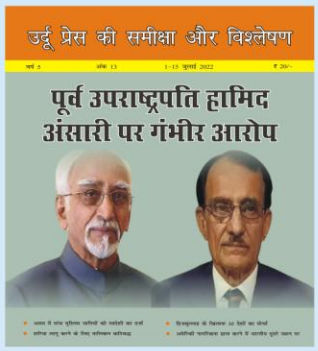

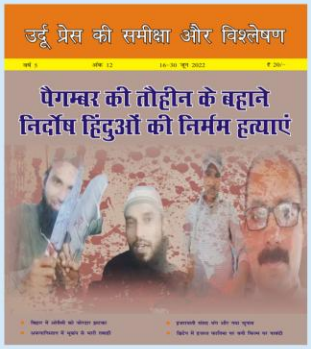

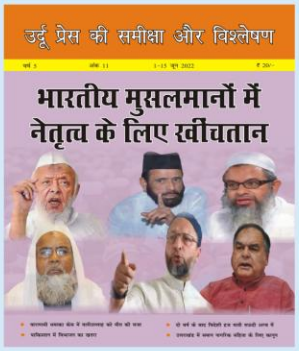

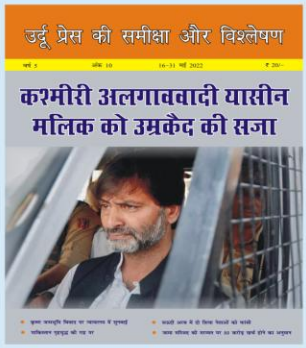

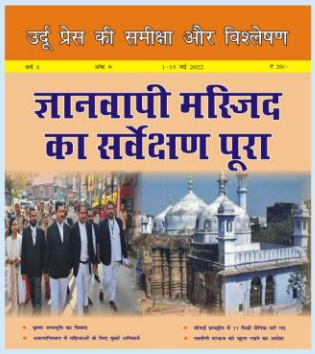

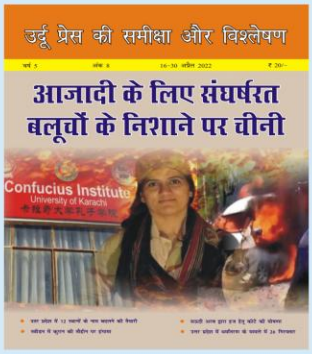

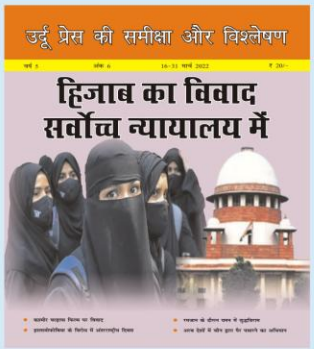

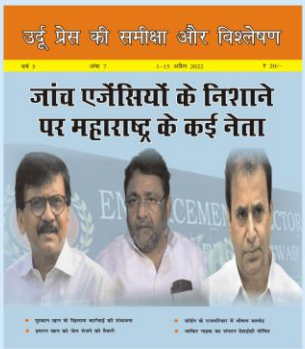

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
॥ प्रदीपयेम जगत् सर्वम् ॥
डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018 • फैक्स : 011-46089365
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in